न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

उपस्थितः– सुशील कुमार शशि (एच0जे0एस0–यू0पी0 2001)

सत्र परीक्षण सं0–74/2025

सी0एन0आर0सं0– यू0पी0जे0पी0 010013342025

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

1. हीरावती उर्फ दुर्गावती पत्नी गेनालाल गौतम।

2. गेनालाल गौतम पुत्र स्व0 शिवनाथ गौतम।

निवासीगण–भरथीपुर, थाना रामपुर, जिला जौनपुर।

अपराध संख्या–134/2024

धारा–85, 80(2) वैकल्पिक धारा–103/3(5) बी0एन0एस0 एवं धारा–3/4 डी.पी.एक्ट।

थाना–रामपुर, जिला–जौनपुर।

एवं

सत्र परीक्षण सं0–151/2025

सी0एन0आर0सं0– यू0पी0जे0पी0 010032322025

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

1. अरविन्द कुमार गौतम पुत्र गेनालाल गौतम।

निवासी–भरथीपुर, थाना रामपुर, जिला जौनपुर।

अपराध संख्या–134/2024

धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 एवं धारा–3/4 डी.पी.एक्ट।

थाना–रामपुर, जिला–जौनपुर।

(प्रारूप–क)

(निर्णय दिनांक–02.07.2026) (सत्र वाद संख्या–74/2025 एवं 151/2025) (अपराध संख्या–134/2024) थाना–रामपुर, जिला–जौनपुर।	
फरियादी/सूचनाकर्ता	श्री रमेश कुमार गौतम (वादी मुकदमा)
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री लालबहादुर पाल जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

Digitally signed by SUSHIL KUMAR SHASHI
Date: 2026.07.02 15:45:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्तगण का नाम	1. हीरावती उर्फ दुर्गावती 2. गेनालाल गौतम 3. अरविन्द कुमार गौतम
अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री विजय नारायण सिंह, एडवोकेट
वादी की ओर से उपस्थित प्राइवेट अधिवक्ता	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय, एडवोकेट, श्री कृपाशंकर यादव, एडवोकेट

(प्रारूप–ख)

घटना की तिथि	25.07.2024 से 27.07.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन का दिनांक	27.07.2024
अभियोग पत्र क्रमांक एवं प्रस्तुति दिनांक	17/2025 दिनांक 20.01.2025 एवं 17ए/2025 दिनांक 04.03.2025
आरोप विरचित करने का दिनांक	10.03.2025 एवं 19.05.2025
साक्ष्य अनुलेखन आरम्भ करने का दिनांक	07.11.2025
निर्णय घोषित करने के लिये प्रकरण आरक्षित करने का दिनांक	30.06.2026
निर्णय घोषित करने की दिनांक	02.07.2026

(प्रारूप–ग)

अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची

क– अभियोजन साक्षीगण

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्लू0–1	रमेश कुमार गौतम	वादी मुकदमा/मृतका का पिता
पी0डब्लू0–2	गुड्डी	साक्षी/मृतका की माता
पी0डब्लू0–3	विवेक कुमार	साक्षी/मृतका का मामा
पी0डब्लू0–4	ममता	साक्षी/मृतका की बहन
पी0डब्लू0–5	छंगा	स्वतंत्र साक्षी

ख– बचाव साक्षीगण

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

ग– न्यायालयीन साक्षीगण

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची

क– अभियोजन प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	प्रमाणकर्ता	साक्ष्यों का वर्णन
1.	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू01	तहरीर
2.	प्रदर्श क–2	औपचारिकता स्वीकार	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	प्रदर्श क–3	औपचारिकता स्वीकार	कायमी जी0डी0
4.	प्रदर्श क–4	औपचारिकता स्वीकार	पंचायतनामा
5.	प्रदर्श क–5	औपचारिकता स्वीकार	कायमी जी0डी0 बाबत मृतका की मृत्यु
6.	प्रदर्श क–6	औपचारिकता स्वीकार	मृतका की मृत्यु की सूचना/तहरीर
7.	प्रदर्श क–7	औपचारिकता स्वीकार	पुलिस फार्म सं0–13
8.	प्रदर्श क–8	औपचारिकता स्वीकार	फोटोनाश
9.	प्रदर्श क–9	औपचारिकता स्वीकार	चिट्ठी आर0आई0
10.	प्रदर्श क–10	औपचारिकता स्वीकार	चिट्ठी सी0एम0ओ0
11.	प्रदर्श क–11	औपचारिकता स्वीकार	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
12.	प्रदर्श क–12	औपचारिकता स्वीकार	घटनास्थल का नक्शा नजरी
13.	प्रदर्श क–13	औपचारिकता स्वीकार	आरोप पत्र सं0–17/2025
14.	प्रदर्श क–14	औपचारिकता स्वीकार	आरोप पत्र सं0–17ए/2025
15.	प्रदर्श क–15	औपचारिकता स्वीकार	विधि विज्ञान प्रयोशाला की रिपोर्ट

ख– बचाव प्रदर्श

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

ग– न्यायालयीन प्रदर्श

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

घ– वस्तु प्रदर्श

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण सं०–74/2025 में अभियुक्तगण हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम के विरूद्ध मु०अ०सं०–134/2024, धारा–85, 80(2) वैकल्पिक धारा–103/3(5) बी0एन0एस0 व 3/4 डी.पी. एक्ट तथा सत्र परीक्षण सं0–151/2025 में अरविन्द कुमार गौतम के विरूद्ध मु०अ०सं०–134/2024, धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डी.पी. एक्ट में विचारण किया जा रहा है। चूंकि दोनों पत्रावलिया पूर्व से ही समेकित है। अतः सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही साथ किया जा रहा है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि "प्रार्थी रमेश कुमार गौतम पुत्र स्व० सरबजीत निवासी जाठी, थाना ज्ञानपुर जिला भदोही का मूल निवासी है। उसने अपने लड़की सुषमा की शादी हिन्दू रिति–रिवाज से अरबिन्द पुत्र गेनालाल निवासी भरतीपुर थाना रामपुर, जिला जौनपुर में 24.04.2022 ई० को सम्पन्न किया था। शादी के दूसरे दिन सुषमा विदा होकर अपने ससुराल गयी, कोई वाद विवाद नहीं पैदा हुआ। शादी में दान स्वरूप प्रार्थी अपने लड़की को हीरो स्पेलेन्डर, आभूषण कनफूल, नथुनी, पायल, कमर की पेटी, मेहदी, मीना, मुदरी, आलमारी बाक्स व साड़ी 7 सेट दिया था और लड़के को दान स्वरूप मु0–51,000/–रूपया नगद दिया था। प्रार्थी सुषमा के घर शादी 4 दिन बाद गया और लड़की से मुलाकात किया तो बताई कि परिवार के लोग बराबर कहते है कि यह तो सभी लोग मोटर साईकिल देते है, बुलट देना चाहिए था। अपने पिता से कह दो इस मोटर साइकिल को लेकर बुलट दे दें। प्रार्थी की लड़की कही कि पिता जी को जो सामर्थ था वे दिए है, इसके लिए बराबर अरबिन्द पुत्र गेनालाल व उसके पिता गेनालाल तथा उनकी माता हिरावती बराबर आय दिन प्रार्थी की लड़की को प्रताड़ित करते रहते थे। प्रार्थी उक्त घटना की कहीं शिकयत नहीं किया है। दिनांक 25.07.2024 ई० को उक्त सभी लोग मिलकर प्रार्थी की लड़की को मार पीटरकर जहर दे दिये। सुषमा की हालत बिगड गयी तो उसे लेकर जीवनदीप अस्पताल भदोही में सुषमा को इलाज के लिए भर्ती करा दिये। दिनांक 25.07.2024 ई0 को दोपहर 03:00 बजे हम प्रार्थी को अरबिन्द ने सूचना दिया। सूचना पर प्रार्थी अस्पताल गया तो सुषमा ने सारी की सारी घटना उससे बताई। तो विपक्षीगण गेनालाल व अरबिन्द व अरबिन्द की मॉ अस्पताल से बारी–बारी बहाना बनाकर

भाग गयी। अस्पताल में इलाज के दौरान सुषमा दिनांक 27.07.2024 ई0 को मृत्यु हो गयी, तो प्रार्थी थाने गया तो पुलिस के माध्यम से पोस्टमार्टम कराने ज्ञानपुर लेकर आया है।'' लिखित तहरीर के आधार पर थाना रामपुर में मु०अ०सं०–134/2024, धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डी.पी.एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना मृतका का पंचनामा प्रदर्श क–4 भरा गया तथा पोस्टमार्टम हेतु संबंधित कागजात प्रदर्श क–6 लगायत प्रदर्श क–10 तैयार करके मृतका का पोस्टमार्टम प्रर्दश क–11 कराया गया तथा विवेचक ने धारा–180 द०प्र०सं० के तहत गवाहों का बयान लिया तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा–नजरी प्रदर्श क–12 बनाया। दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। दौरान विवेचना बयानात गवाहान, बयान डाक्टर, बयान अभियुक्त के अवलोकन से अभियुक्तगण हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं०–17/2025 दिनांकित 20.01.2025 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त अरविन्द कुमार गौतम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं०–17ए/2025 दिनांकित 04.03.2025 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रेषित आरोप पत्रों पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर ने क्रमशः दिनांक 27.01.2025 व 12.03.2025 को प्रसंज्ञान लिया एवं अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहुत किया। अभियुक्तगण उपस्थित आये तो उन्हें न्यायालय द्वारा धारा–207 दं०प्र०सं० के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियाँ प्रदान की गयी तथा प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर के आदेश क्रमशः दिनांक 07.02.2025 व 15.04.2025 द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

4. सत्र न्यायालय के द्वारा दिनांक–10.03.2025 को अभियुक्तगण हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–85, 80(2) वैकल्पिक धारा–103 सपठित धारा 3(5) बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम विरचित किया तथा सत्र न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.05.2025 को अभियुक्त अरविन्द कुमार गौतम के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम विरचित किया तथा आरोप विरचित करके उन्हें पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

5. दौरान विचारण सत्र न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.07.2025 के द्वारा सत्र परीक्षण सं0–151/2025 की पत्रावली को सत्र परीक्षण सं0 74/2025 के साथ समेकित किया गया तथा सत्र परीक्षण सं0–74/2025 को लीडिंग केस मानकर न्यायालय में साक्ष्य की कार्यवाही शुरू की गयी।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए पी०डब्लू०1 रमेश कुमार गौतम (वादी मुकदमा), पी०डब्लू०2 गुड्डी, पी०डब्लू०3 चन्दू उर्फ नन्दूलाल, पी०डब्लू०4 ममता, पी0डब्लू05 छंगा को परीक्षित कराया गया।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में लिखित तहरीर को प्रदर्श क–1, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, कायमी जी०डी० प्रदर्श क–3, पंचायतनामा मृतका प्रदर्श क–4, कायमी जी0डी0 बाबत मृतका की मृत्यु प्रदर्श क–5, मृतका की मृत्यु की सूचना/तहरीर प्रदर्श क–6, पुलिस प्रपत्र 13 प्रदर्श क–7, फोटोनाश प्रदर्श क–8, चिट्ठी आर0आई0 प्रदर्श क–9, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–10, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–11, नक्शा नजरी प्रदर्श क–12, आरोप पत्र प्रदर्श क–13 व प्रदर्श क–14, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श क–15 आदि प्रस्तुत किये है। तदुपरान्त अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त किया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क–15 की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है।

8. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता विजय नारायण सिंह एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री लाल बहादुर पाल एवं वादी के प्राइवेट अधिवक्तागण श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय व श्री कृपाशंकर यादव के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया।

9. **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित पी०डब्लू०–1 रमेश कुमार गौतम (वादी मुकदमा)** ने शपथपूर्वक कथन किया कि–उसने अपनी लड़की सुषमा की शादी अरविंद पुत्र गेंदालाल निवासी भरथीपुर (भरतीपुर) थाना रामपुर जौनपुर के साथ दिनांक 24.04.2022 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अपनी हैसियत के अनुरूप उपहार वगैरह देकर किया था। शादी में उसने मु0–51,000 रूपये नगद तथा हीरो स्पेलेंडर गाडी और लडकी को गृहस्थी का सारा सामान वगैरह देकर किया था। शादी के दूसरे दिन सुषमा की विदाई हुई थी। 4 दिन बाद वह चौथ लेकर गया था। लडकी से मुलाकात जब हुयी तो तब लडकी ने बताया कि पति अरविंद, ससुर गेंदालाल, सास हीरावती बराबर ताना मारती है कि दहेज में बुलेट देना चाहिए था। अपने

पिता से कह दो स्पेलेंडर गाडी ले जाए और बुलेट दे दे। उसने लड़की को समझा बुझाकर कहा कि मेरी हैसियत बुलेट देने की अब नहीं है। बाद में सब ठीक हो जायेगा। दहेज की मांग को लेकर उपरोक्त लोग सुषमा को प्रताडित करते रहे। दिनाँक 25.07.2024 को उपरोक्त सभी लोग सुषमा को मार पीट कर जहर दे दिया। जब उसकी हालत खराब हुयी तो उसे जीवनदीप अस्पताल में भर्ती कर दिया। दिनाँक 25.07.2024 को दोपहर में करीब 3 बजे उसे अरविंद ने सूचना दिया। तब वह जीवनदीप अस्पताल पहुँचा तो वहां मौजूद सुषमा के सास और ससुर बहाना बनाकर धीरे धीरे भाग गये। दौरान इलाज सुषमा ने उसे घटना के बारे में जानकारी दिया था। दौरान इलाज दिनाँक 27.07.2024 को सुषमा की मृत्यु हो गयी। सुषमा के शव का पंचायतनामा दिनॉक 27.07.2024 को जीवनदीप अस्पताल में हुआ था। पंचायतनामा उसके सामने हुआ था उस पर उसने अपना हस्ताक्षर बनाया था। गवाह ने पंचायतनामा देखकर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। शव का शव विच्छेदन हुआ था। दाह संस्कार उन लोगों ने किया था। शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम भदोही में हुआ था। घटना के बाबत उसने एक तहरीर टाइप कराकर, पढकर, उसमें अपना हस्ताक्षर बनाकर थाना रामपुर में दिनॉक 27.07.2024 को दिया था जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उक्त तहरीर उपलब्ध पत्रावली कागज सं० 4/4 को देखकर गवाह ने तहरीर और अपने हस्ताक्षर की पहचान करके प्रदर्श क1 के रूप में साबित कराया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। उसने घटनास्थल का निरीक्षण कराया था।

10. **बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में कथन किया है कि–**दिनॉक 25.07.2024 को अरविंद की सूचना पर जब वह जीवनदीप अस्पताल पहुँचा तो वहां पर उसके दामाद अरविंद, उनके पिता गेंदालाल तथा उनकी माँ हीरावती मौजूद थी। ये तीनो लोग सुषमा का दवा इलाज बहुत अच्छे ढंग से करा रहे थे। वह भी बराबर अस्पताल में मौजूद रहा। जीवनदीप अस्पताल में सुषमा के इलाज के सिलसिले में सुषमा के ससुराल वालो का करीब 2–2.5 लाख रूपया खर्च किया था। वहां के डाक्टर ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, परंतु दर्भाग्यवश सुषमा को बचाया नहीं जा सका और वही जीवनदीप अस्पताल भदोही मे ही सुषमा की मृत्यु हो गयी। सुषमा की शादी के समय अथवा शादी के पूर्व अथवा शादी के बाद मुल्जिमान अरविंद, गेंदालाल तथा हीरावती ने उससे अथवा उसके घर के किसी भी सदस्य से दहेज के रूप में बुलेट मोटरसाइकिल की अथवा अन्य किसी भी चीज की कोई मांग नही किया था। उसकी जानकारी में इन तीनो मुल्जिमानों ने उसकी लडकी सुषमा से अथवा उसके परिवार के अन्य

किसी भी सदस्य से कभी भी दहेज के रूप में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग नही किया था। इन मुल्जिमानो ने सुषमा को कभी भी किसी प्रकार से प्रताडित अथवा उत्प्रीडित नही किया था। वह जब भी सुषमा का हालचाल लेने उसके सुषमा के ससुराल गया था अथवा सुषमा जब भी मायके आयी तो सुषमा ने इन मुल्जिमानो द्वारा दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल अथवा अन्य किसी भी चीज की मांग को नही बताया था। सुषमा को देखने जब वह अथवा उसके परिवार के अन्य लोग जीवनदीप अस्तपाल गये तो उन लोगो ने सुषमा से पूँछा कि उसकी तबियत कैसे खराब हुयी तो सुषमा ने कहा कि उसके दिमाग में कुछ ऐसी सनक चढ गयी, जिसकी वजह से उसने कीटनाशक दवा को खा लिया था। जिसकी वजह से उसकी तबियत जब खराब होने लगी तो उसके ससुराल वालों ने जानकारी होने पर तुरंत उसे जीवनदीप अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज कराना शुरू कर दिया और उन लोगो को इसकी सूचना दे दिया। सुषमा ने यह भी बताया था कि अरविंद, हीरावती और गेंदालाल ने उसे न तो मारा पीटा और न ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित किया था। उसने कहा कि उसकी इस परेशानी उसके द्वारा जोश में किये गये कार्य की वजह से हो गयी है इसमें उसके ससुराल का कोई दोष नही है। उसके यहां के कुछ लोग सुषमा की मृत्यु के बाद कहने लगे की। इसकी सूचना थाने पर देनी चाहिए। उस समय सुषमा की मृत्यु की वजह से वह काफी घबराहट व परेशानी में था। किसी ने एक टाईप किये हुए कागज पर उसका हस्ताक्षर करा लिया था। उसने वह तहरीर उसे पढ़कर नहीं सुनाया था और न ही उसने उसे स्वयं पढ़ा था। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श क–1 गवाह को दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही कागज है जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर बनाया था, जिसे उसने स्वयं बोलकर नही लिखाया था। इसमे क्या बाते लिखी है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। किसी भी विवेचना अधिकारी ने उससे कोई पूँछतांछ नहीं किया था।

11. **जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी** के द्वारा गवाह को उसका बयान अंतर्गत धारा–161 सीआरपीसी पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि उसने ऐसा बयान नहीं दिया था। उसका ऐसा बयान कैसे लिख लिया गया। वह इसकी वजह नहीं बता सकता। उसे किसी घटनास्थल की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए घटनास्थल का कोई निरीक्षण भी उसने नहीं कराया था। उसकी लडकी सुषमा की हत्या इन मुल्जिमानो ने नही किया है। सुषमा शादी के पहले से ही दिमागी रूप से थोडी हल्की थी। कभी कभी वह झक में आकर उल–जलूल हरकते कर लिया करती थी। यह घटना भी इसी प्रकार की उल–जलूल हरकत का परिणाम

है। अरविंद से सुषमा को एक लडका पैदा हुआ था। वह इस मामले के बाद से बराबर उसके ही साथ उसकी ही देखरेख में रह रहा है, क्योकि इस मामले में अरविंद, हीरावती तथा गेनालाल को पुलिस वालो ने बंद कर दिया था। उसकी देखरेख बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। वह इस समय जो बाते बता रहा है। वह बिना किसी दवाब अथवा लालच के अपनी स्वतंत्र मर्जी से सही बात बता रहा है। उसने अपने मुख्य परीक्षा में जो बाते कही है, वह पुलिस वालो के कहने व उनके दबाव में कह दिया है।

12. **पी०डब्लू०–2 गुड्डी** ने मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया कि–उसने अपनी लडकी सुषमा की शादी हिन्दू रीति रिवाज से अरविंद पुत्र गेंदालाल निवासी भरथीपुर थाना रामपुर जौनपुर के साथ दिनॉक 24.04.2022 को की थी। शादी के दूसरे दिन सुषमा विदा होकर अपने ससुराल गयी थी। शादी में वह लोग अपने हैसियत के मुताबिक उपहार स्वरूप सामान वगैरह दिये थे। शादी के बाद उसके पति रमेश कुमार सुषमा के घर चौथ लेकर गये थे। उस समय सुषमा ने अपने ससुरालीजन या किसी अन्य के खिलाफ कोई शिकायत नही की थी बल्कि यह बतायी थी कि वह अपनी ससुराल में खुशहाल है। किसी से कोई शिकायत नही है। उसके ससुरालीजन पति अरविंद, सास हीरावती उर्फ दुर्गावती, ससुर गेंदालाल ने दहेज में बुलेट मोटरसाईकिल की मांग कभी नही किये थे। सुषमा को एक लडका आयुष पैदा हुआ जो घटना के समय करीब 1 साल का था। सुषमा के पति अरविंद ने दिनॉक 25.07.2024 को उसके पति रमेश कुमार गौतम को फोन से सूचना दिये कि आपकी लडकी सुषमा की तबियत खराब है। उसे लेकर हम लोग जीवनदीप अस्पताल भदोही में भर्ती है। उसका इलाज चल रहा है, आप लोग शीघ्र चले आइये। इस सूचना पर वह अपने पति के साथ जीवनदीप अस्पताल पहुंची वहां पर उसकी लडकी सुषमा का इलाज चल रहा था। वह अपनी लडकी सुषमा से पूछी कि उसकी तबियत कैसे खराब हुयी। तब उसने बताया कि वह डिप्रेशन में हो गयी थी जिसके वजह से उसने गुस्से में आकर घर में रखी कीटनाशक दवा पी लिया और उसकी तबियत खराब होने लगी तो उसने अपने पति और सास, ससुर को बताया तो वो उसे जीवनदीन अस्पताल भदोही लेकर आये और उसका इलाज करा रहे है। दौरान इलाज दिनाँक 27.07.2024 को उसकी लडकी सुषमा की मृत्यु हो गयी और अस्पताल में ही सुषमा के शव का पंचायतनामा उसके व उसके पति व अन्य लोगो की मौजूदगी में नायाब तहसीलदार व दरोगा ने तैयार किया था और उस पर उसका निशान अगूठा लगवाया था। विवेचक ने उसका बयान नही लिया था।

13. **जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा की गयी जिरह** में कथन किया गया है कि–उसके गांव में उसके नाम और पति के नाम की कोई दूसरी महिला नही है। साक्षी को धारा 180 बीएनएसएस का बयान पढकर अक्षरशः सुनाया गया तो गवाह ने कही कि उसने विवेचक को ऐसा कोई बयान नही दिया था। उन्होने उसका ऐसा बयान कैसे लिख दिया वह इसकी वजह नहीं बता सकती। मुल्जिमान अरविंद, हीरावती उर्फ दुर्गावती और गेंदालाल ने उसकी लडकी सुषमा से दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग नही किये थे और न ही इसके बाबत उसकी लडकी उसे कभी कुछ बतायी थी। उसकी लडकी सुषमा ने उससे जीवनदीप अस्पताल भदोही में दौरान इलाज यह बताया था कि वह डिप्रेशन मे थी, जिसके वजह से वह गुस्से में आकर कीटनाशक दवा पी लिया। जिसके वजह से उसकी तबियत खराब हो गयी जिसमें उसके पति और सास, ससुर का कोई दोष नही है। उसकी लडकी सुषमा की हत्या उसके ससुरालीजन अरविंद, हीरावती उर्फ दुर्गावती और गेंदालाल ने नही किया था, बल्कि वह गुस्से में आकर स्वयं कीटनाशक दवा पी लिया था। जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गयी। साक्षी ने सुझाव पर यह कहना गलत कहा है कि अभियुक्तगण अरविंद, हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेंदालाल दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते थे। सुझाव पर यह भी कहना गलत कहा है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। सुझाव पर यह भी कहना गलत कहा है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसके ससुरालीजन के उपरोक्त लोग जहर देकर उसकी हत्या/दहेज हत्या कर दिये थे।

14. **बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह** में कथन किया गया है कि–उसकी लडकी सुषमा की शादी के पहले, शादी के समय अथवा शादी के बाद सुषमा के पति अरविद, सास हीरावती उर्फ दुर्गावती तथा ससुर गेंदालाल ने सुषमा से अथवा उन लोगो से दहेज के रूप में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग नहीं किया था। इन मुल्जिमानो ने कभी भी सुषमा को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताडित नही किया था। उसकी लडकी सुषमा शादी के पहले से ही दिमागी रूप से थोडा हल्की थी। कभी कभी झक में आकर सुषमा उल–जुलूल हरकते करने लगती थी। सुषमा की तबियत खराब होने की सूचना पर वह भी अपने पति रमेश के साथ जीवनदीप अस्पताल गयी थी, तो वहां पूँछने पर सुषमा ने बताया था कि उसने जोश में तथा गुस्से में आकर कीटनाशक दवा खा लिया था। अरविंद और उसके माता पिता को जैसे ही जानकारी हुई वो लोग उसे जीवनदीप अस्पताल में लाकर अच्छे से इलाज करा रहे है। सुषमा के दवा इलाज में उसके ससुराल वालो का लाखो रूपया भी खर्च हो गया परंतु लाख प्रयास के

बावजूद भी उसे बचाया नही जा सका। सुषमा की मृत्यु सुषमा की ही गलती एवं जोश तथा क्रोध में लिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप हो गयी। इसमें अरविंद, हीरावती उर्फ दुर्गावती तथा ससुर गेंदालाल का कोई दोष नही हैं। आज वह न्यायालय में जो बाते बता रही है, वह सही है। वह बिना किसी दबाव व भय अथवा प्रलोभन के अपनी स्वतंत्र मर्जी से यह बयान दे रही है। आज बयान देने के लिए वह अपने पति रमेश कुमार गौतम के साथ न्यायालय आयी है। अरविंद से सुषमा को एक लडका आयुष पैदा हुआ था जो घटना के बाद से बराबर उसके ही यहां है, जिसकी उम्र इस समय लगभग 2 वर्ष है।

15. **पी०डब्लू०–3 विवेक कुमार** ने मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया कि–इस मुकदमे की मृतका सुषमा गौतम उसकी भांजी थी। सुषमा गौतम का विवाह दिनांक–24.04.2022 को अरविन्द गौतम पुत्र गेनालाल गौतम के साथ हुई थी। शादी में उसके बहनोई रमेश कुमार गौतम ने अपनी हैसियत के अनुसार उपहार–स्वरूप गृहस्थी का सारा सामान दिया था। सुषमा की विदाई शादी के दूसरे दिन दिनांक–25.04.2022 को हुई थी। शादी में किसी प्रकार के दहेज की मांग वर पक्ष से नहीं हुई थी। शादी राजी–खुशी हुई थी। सुषमा और उसकी ससुराल वाले शादी से संतुष्ट थे। सुषमा के पति अरविन्द, सास हिरावती उर्फ दुर्गावती, ससुर गेनालाल गौतम ने सुषमा और उसके माता–पिता से कभी भी दहेज में बुलट मोटरसाइकिल की मांग नहीं किये थे। दहेज की उक्त मांग को लेकर सुषमा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया गया था। दहेज की उक्त मांग को लेकर सुषमा की दहेज मृत्यु/हत्या कारित नहीं किया गया था। सुषमा कभी भी अपने ससुराल वालों की किसी प्रकार की कोई शिकायत अपने माँ–बाप या उन लोगों से नहीं की थी। किसी पुलिस अधिकारी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था।

16. **जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा की गयी जिरह** में कथन किया गया है कि–उसके नाम और वल्दियत का कोई दूसरा व्यक्ति उसके गाँव में नहीं रहता है। गवाह को उसका बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 (161 द0प्र0सं0) अक्षरशः पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दिया था। यह बयान कैसे लिखा गया, उसे नहीं पता है। सुषमा मानसिक अवसाद में रहती थी, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उसने कीटनाशक दवा पी लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। सुषमा के पति अरविन्द, सास दुर्गावती उर्फ हिरावती तथा ससुर गेनालाल ने सुषमा की न तो हत्या किया और न ही कभी उसे आत्महत्या हेतु उत्प्रेरित किया, बल्कि सुषमा ने स्वयं

ही अवसाद के कारण आत्महत्या किया था। आज वह न्यायालय की सूचना पर अपने खर्चे से गवाही देने आया है। आज जो बयान वह न्यायालय में दे रहा है, वह अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव, भय व लालच के सही बयान दे रहा है। सुझाव पर यह कहना गलत कहा है कि वह अभियुक्तगण से मिलकर उनसे नाजायज लाभ लेकर, उन्हें बचाने के उद्देश्य से गलत बयान दे रहा है।

17. **बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में** कथन किया गया है कि–उसकी भांजी सुषमा की शादी में अथवा शादी के बाद सुषमा के पति अरविन्द, सास हिरावती उर्फ दुर्गावती तथा ससुर गेनालाल गौतम सुषमा से अथवा सुषमा के मायके के लोगों से दहेज के रूप में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग नहीं किये थे। उपरोक्त मुल्जिमानों ने कभी भी सुषमा को शारीरिक या मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं किये थे। सुषमा शादी के पहले से ही दिमागी रूप से थोड़ा हल्की थी। वह कभी–2 झक में आकर ऊल–जलूल हरकतें करने लगती थी। सुषमा की तबीयत खराब होने की सूचना पर वह भी जीवनदीप अस्पताल में गया था, जहाँ पूछने पर सुषमा ने बताया था कि उसने जोश में तथा गुस्से में आकर कीटनाशक दवा खा लिया था। सुषमा ने यह भी बताया था कि उसके ससुराल वाले ही उसे जानकारी होते ही तुरन्त जीवनदीप अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज करवा रहे हैं। सभी लोगों के प्रयास के बावजूद भी सुषमा की मृत्यु हो गई। सुषमा की मृत्यु के लिये उसकी ससुराल वाले उसके पति, सास व ससुर किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हैं। ये लोग पूरी तरह से निर्दोष हैं। सुषमा का एक लड़का है, जो अपनी नानी के साथ रह रहा है।

18. **पी०डब्लू०–4 ममता** ने मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया कि–उसकी बहन सुषमा का विवाह दिनांक 24.04.2022 को अरविंद गौतम पुत्र गेनालाल गौतम के साथ हुआ था। शादी में उसके पिता अपने हैसियत के अनुसार उपहार स्वरूप गृहस्थी का सारा सामान दिया था। उसकी बहन सुषमा की विदाई दूसरे दिन दिनॉक 25.04.2022 को हुई थी। किसी प्रकार की दहेज की मांग लडके पक्ष द्वारा नही हुई थी। शादी राजी खुशी से हुई थी। शादी से सुषमा व उसके ससुराल वाले संतुष्ट थे। सुषमा के पति अरविंद, सास हीरावती उर्फ दुर्गावती, ससुर गेनालाल ने दहेज में बुलेट मोटरसाईकिल की मांग उसके माता पिता और उसकी बहन से नही किया था और दहेज की उक्त मांग को लेकर उसकी बहन सुषमा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया था। दहेज की उक्त मांग को लेकर सुषमा की दहेज मृत्यु/हत्या कारित नही किया था। सुषमा कभी भी अपने ससुराल वालों की किसी प्रकार की कोई शिकायत माता

पिता से या अन्य लोगो से नही की थी। उसकी बहन सुषमा की मृत्यु कैसे हुई थी, इसकी उसे व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है। किसी पुलिस अधिकारी ने उसका कोई बयान नही लिया था।

19. **जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा की गयी जिरह** में कथन किया गया है कि–उसके नाम और सकूनत की कोई दूसरी लडकी उसके गांव में नही है। गवाह को उसका धारा 180 बीएनएसएस (161 सीआरपीसी) का बयान अक्षरशः पढकर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान किसी पुलिस अधिकारी को नही दिया था। कैसे लिखा गया, वह इसकी वजह नहीं बता सकती है। आज वह न्यायालय की सूचना पर अपने पिता के साथ गवाही देने आयी है। आज जो बयान वह न्यायालय में दे रही है। वह अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव, भय व लालच के सही बयान दे रही है। सुझाव पर यह कहना गलत कहा है कि वह अभियुक्तगण से मिलकर उनसे नाजायज लाभ लेकर उन्हे बचाने के लिए झूठा बयान दे रही है।

20. **बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में** कथन किया गया है कि–उसकी बहन सुषमा जब भी मायके में आती थी तो उससे उसकी मुलाकात, बातचीत होती थी तथा एक दूसरे का हालचाल हम लोग लेते थे। सुषमा ने कभी उससे अथवा उसका परिवार के किसी भी सदस्य से अपने पति अरविंद, अपनी सास हीरावती उर्फ दुर्गावती तथा ससुर गेनालाल की किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत अथवा इन लोगो से किसी भी प्रकार की असंतुष्टि की बात नही बताती थी। वह अपने ससुराल में उपरोक्त लोगो से पूरी तरीके से खुश थी। सुझाव पर यह सही कहा है कि सुषमा शादी के पहले से ही थोडा हल्के दिमाग की थी। वह कभी भी जोश में आकर उल–जलुल हरकते भी करती थी। सुषमा की मृत्यु के लिए उसकी ससुराल के उसके पति, सास व ससुर किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही है। आज वह यहां जो बाते बता रही है, वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से बता रही है।

21. **पी०डब्लू०–5 छंगा द्वारा** मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया गया कि–मृतका सुषमा का विवाह अरविंद पुत्र गेनालाल निवासी भरथीपुर थाना रामपुर जौनपुर के साथ हुई थी। उसकी ससुराल में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसके संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। दिनांक 27.07.2024 को वह रमेश कुमार गौतम के साथ थाना रामपुर गया था। वहां किसी कागज पर पुलिस वालो ने उससे हस्ताक्षर करा लिया था। उससे

किस कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे, उसे कुछ बताया नहीं था। विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया था।

22. **जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा की गयी जिरह** में कथन किया गया है कि–उसके नाम और वल्दियत का कोई दूसरा व्यक्ति उसके मौजे में नहीं है। गवाह को उसका धारा–180 बी0एन0एस0एस0 का बयान अक्षरशः पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दिया था, कैसे लिखा गया वह इसकी वजह नहीं बता सकता। आज जो बयान वह न्यायालय में दे रहा है, वह अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव, भय व लालच के सही बयान दे रहा है। आज वह न्यायालय की सूचना पर अपने खर्चे से गवाही देने आया है। सुझाव पर यह कहना गलत कहा है कि वह अभियुक्तगण से मिलकर उनसे नाजायज लाभ लेकर उन्हे बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा है।

23. **बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में** कथन किया गया है कि–रमेश कुमार गौतम उसके समधी हैं। इनकी लडकी सुषमा की शादी गेनालाल के लडके अरविंद के साथ हुई थी। सुषमा को अरविंद से एक लडका है जो इस समय अपने ननिहाल में अपने नाना रमेश कुमार गौतम के साथ रह रहा है। सुषमा अपने ससुराल में पूरी तरह से खुश व संतुष्ठ थी। ससुराल में उसके ससुराल वाले कभी भी किसी प्रकार से प्रताडित अथवा उत्पीडित नहीं किये थे। उसकी मृत्यु कैसे हुई इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है।

24. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 12.05.2026 को अंकित किया, जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में गलत ढंग से मुकदमा कराना कहा गया है। पी०डब्लू०1 के बयान के सम्बन्ध में मुख्य परीक्षा का कथन झूठा एवं गलत होने तथा जिरह में सही बयान दिया जाना कहा है। पी0डब्लू02 लगायत पी0डब्लू05 के बयानों के सम्बन्ध में वादी के हितबद्ध साक्षी होने के कारण गलत बयान देना कहा है। अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का कथन किया गया है। पीड़िता की मृत्यु के बाद वादी मुकदमा द्वारा रंजिशन एवं संदेह के आधार पर मुकदमा चलाया जाना कहा है। उन्हें सफाई साक्ष्य में किसी साक्षी को परीक्षित कराना है। अभियुक्तगण द्वारा कहा गया है कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

25. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की पुत्री सुषमा को उसकी मृत्यु के पूर्व व शादी के बाद दहेज की मांग करते हुए शारीरिक, मानसिक एवं क्रूरता का व्यवहार करते हुए प्रताड़ित किये तथा

मांग पूरी न होने के कारण उसको जहर देकर उसकी हत्या करके दहेज हत्या कारित किये है। न्यायालय के समक्ष वादी व गवाहान के द्वारा पक्षद्रोही साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इसके बावजूद अभिलेखीय साक्ष्यों व औपचारिक साक्षीगण के बयानों व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध साबित होता है। अभियुक्तगण ने कोई सफाई साक्ष्य नहीं दिया है। मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण की अभिरक्षा में असामान्य परिस्थितियों में हुई है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

26. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, कथित अपराध अभियुक्तगण के द्वारा कारित नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के सभी साक्षीगण के द्वारा दहेज की मांग व दहेज प्रताड़ना के तथ्य से इनकार किया गया है तथा विवाह के अवसर पर दहेज की कोई मांग न होने का कथन किया है। घटना के पूर्व अभियुक्तगण के द्वारा मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं की गयी है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। धारा 80(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत अपराध के लिये आवश्यक तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज हत्या किये जाने की विधिक उपधारणा नहीं की जा सकती है। अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही दहेज की मांग को लेकर मृतका को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य है।

27. **धारा–85 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत** विवाहिता के पति व ससुराल पक्ष के सम्बन्धियों के द्वारा विवाहिता के पति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाना दण्डनीय है। इस धारा के स्पष्टीकरण में क्रूरतापूर्ण व्यवहार को परिभाषित किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित दो खण्ड अन्तर्विष्ट है कि–

> **(क)–** जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है, या
>
> **(ख)–** किसी स्त्री के इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मॉग पूरी करने के लिए

प्रपीड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मॉग पूरी करने में असफल रहा है।

धारा–85 बी0एन0एस0 में दो खण्ड अन्तर्विष्ट है। इस प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दहेज की मॉग के संदर्भ में विवादित को प्रताड़ित करने अथवा अन्यथा किसी अन्य कारण से भी उसकी प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाय, जो उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को प्रभावित करने की प्रकृति का हो तथा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने की प्रकृति का हो, इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय है, क्रूरता के अन्तर्गत शारीरिक तथा मानसिक क्रूरता सम्मिलित है।

28. **धारा–80(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत अपराध के सम्बन्ध में निम्नलिखित** साबित किया जाना है कि–

1. विवाह के सात वर्षो के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में विवाहिता की मृत्यु हुई हो।
2. विवाहिता के पति व ससुराल पक्ष के सम्बन्धियों के द्वारा दहेज की मॉग के सम्बन्ध में उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता रहा हो।
3. मृत्यु के शीघ्र पूर्व मृतका के पति व उसके नातेदारों के द्वारा दहेज की मॉग के सम्बन्ध में, उसके पति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो।

उपरोक्त सभी परिस्थितियॉ विद्यमान होने की स्थिति में धारा–113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध विवाहिता की दहेज मृत्यु कारित करने की विधिक उपधारणा की जा सकती है।

29. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि–वादी द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दहेज में बुलेट मोटर साइकिल की मांग की गयी और मांग पूरी न होने पर मृतका को प्रताड़ित किया गया। पी0डब्लू01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है, परन्तु बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि–दिनॉक 25.07.2024 को अरविंद की सूचना पर जब वह जीवनदीप अस्पताल पहुँचा तो वहां पर उसके दामाद अरविंद, उनके पिता गेंदालाल तथा उनकी माँ हीरावती मौजूद थी। ये तीनो लोग सुषमा का दवा इलाज बहुत अच्छे ढंग से करा रहे थे। वह भी बराबर अस्पताल में मौजूद रहा। वहां के डाक्टर ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, परंतु दर्भाग्यवश सुषमा को बचाया नहीं जा सका और वही जीवनदीप अस्पताल भदोही मे

ही सुषमा की मृत्यु हो गयी। सुषमा की शादी के समय अथवा शादी के पूर्व अथवा शादी के बाद मुल्जिमान अरविंद, गेंदालाल तथा हीरावती ने उससे अथवा उसके घर के किसी भी सदस्य से दहेज के रूप में बुलेट मोटरसाइकिल की अथवा अन्य किसी भी चीज की कोई मांग नही किया था। उसकी जानकारी में इन तीनो मुल्जिमानों ने उसकी लडकी सुषमा से अथवा उसके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य से कभी भी दहेज के रूप में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग नही किया था। इन मुल्जिमानो ने सुषमा को कभी भी किसी प्रकार से प्रताडित अथवा उत्प्रीडित नही किया था। वह जब भी सुषमा का हालचाल लेने उसके सुषमा के ससुराल गया था अथवा सुषमा जब भी मायके आयी तो सुषमा ने इन मुल्जिमानो द्वारा दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल अथवा अन्य किसी भी चीज की मांग को नही बताया था। सुषमा को देखने जब वह अथवा उसके परिवार के अन्य लोग जीवनदीप अस्तपाल गये तो उन लोगो ने सुषमा से पूँछा कि उसकी तबियत कैसे खराब हुयी तो सुषमा ने कहा कि उसके दिमाग में कुछ ऐसी सनक चढ गयी, जिसकी वजह से उसने कीटनाशक दवा को खा लिया था। जिसकी वजह से उसकी तबियत जब खराब होने लगी तो उसके ससुराल वालों ने जानकारी होने पर तुरंत उसे जीवनदीप अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज कराना शुरू कर दिया और उन लोगो को इसकी सूचना दे दिया। सुषमा ने यह भी बताया था कि अरविंद, हीरावती और गेंदालाल ने उसे न तो मारा पीटा और न ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित किया था। उसने कहा कि उसकी इस परेशानी उसके द्वारा जोश में किये गये कार्य की वजह से हो गयी है इसमें उसके ससुराल का कोई दोष नही है। उसके यहां के कुछ लोग सुषमा की मृत्यु के बाद कहने लगे की। इसकी सूचना थाने पर देनी चाहिए। उस समय सुषमा की मृत्यु की वजह से वह काफी घबराहट व परेशानी में था। किसी ने एक टाईप किये हुए कागज पर उसका हस्ताक्षर करा लिया था। उसने वह तहरीर उसे पढ़कर नहीं सुनाया था और न ही उसने उसे स्वयं पढ़ा था। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श क–1 गवाह को दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही कागज है जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर बनाया था, जिसे उसने स्वयं बोलकर नही लिखाया था। इसमे क्या बाते लिखी है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। किसी भी विवेचना अधिकारी ने उससे कोई पूँछतांछ नहीं किया था। पी०डब्लू०1 के साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण ने मृतका से दहेज की मांग नहीं की और दहेज की माँग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया और न ही मृतका की दहेज हत्या कारित की है। पी0डब्लू01 के द्वारा मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में विरोधाभासी साक्ष्य दिया गया है

जिससे यह स्पष्ट है कि पी0डब्लू01 अविश्वसनीय साक्षी है जिसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः पी०डब्लू०1 द्वारा दिये गये साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

30. पी0डब्लू02, पी0डब्लू03, पी0डब्लू04, पी0डब्लू05 ने मुख्य परीक्षा में ही अभियुक्तगण के द्वारा मृतका सुषमा से अतिरिक्त दहेज के रूप में बुलेट मोटर साइकिल की मांग करने, मांग पूरी न होने पर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से इनकार किया है। गवाहों से की गयी जिरह में कथन किया गया है कि–गवाहों के नाम और पते का कोई और व्यक्ति उनके गांव में नहीं है। गवाहों को उनका बयान अंतर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 पढ़कर सुनाया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दिया था। उनका यह बयान कैसे लिख लिया इसकी वजह नहीं बता सकते। सुषमा को एक 2 साल का लड़का है जो मृतका के माता पिता के साथ रह रहा है। वे लोग उसका लालन पालन कर रहे है। वे आज जो बयान दे रहे है वह अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव व भय के सही बयान दे रहे है। सुझाव पर यह भी कहना गलत कहा है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। सुझाव पर यह भी कहना गलत कहा है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसके ससुरालीजन के उपरोक्त लोग जहर देकर उसकी हत्या/दहेज हत्या कर दिये थे। सुझाव पर यह कहना गलत कहा है कि वे अभियुक्तगण से मिलकर उनसे नाजायज लाभ लेकर उन्हें बचाने के लिये झूठी गवाही दे रहे है। इस प्रकार पी0डब्लू02, पी0डब्लू03, पी0डब्लू04, पी0डब्लू05 द्वारा दिये गये साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

31. मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से कोई भी अन्य स्वतंत्र साक्षी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। न्यायालय के समक्ष बयानों में अभियोजन तथ्य के साक्षीगण ने मृतका की मृत्यु का कारण डिप्रेशन में होने के कारण गुस्से में आकर स्वयं कीटनाशक दवा (जहर) पी लेना दर्शित किया है। मामले में स्वतंत्र साक्षी न होना भी अभियोजन कथानक को संदिग्ध बना देता है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के विवेचना के दौरान कथनो एवं न्यायालय के समक्ष किये कथनों में अत्यधिक विरोधाभास है। विधि व्यवस्था **महेन्द्र सिंह आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 7 एस०सी०सी० 157 एवं लालू मांजी बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड ए०आई०आर० 2003 एस०सी० 854** में प्रतिपादित सिद्धांत में कहा है कि साक्षियों की तीन श्रेणिया होती है। पूर्णतः विश्वसनीय, पूर्णतः

अविश्वसनीय तथा अशंतः विश्वसनीय व अंशतः अविश्वसनीय होती है। विधि व्यवस्था के आलोक में पी०डब्लू०1 लगायत पी0डब्लू05 के साक्ष्य/जिरह से अभियुक्तगण अरविन्द कुमार गौतम, हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम द्वारा मृतका से दहेज में बुलेट मोटर साइकिल मांगने, अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करने और उसकी दहेज हत्या कारित करने के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है। इस प्रकार पी०डब्लू०1 लगायत पी0डब्लू05 का साक्ष्य अभियुक्तगण अरविन्द कुमार गौतम, हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम के संबंध में पूर्णतः अविश्वसनीय की श्रेणी में होने के कारण उनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

32. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रस्तुत मामले में मृतका का विवाह अभियुक्त अरविन्द कुमार गौतम के साथ दिनांक 24.04.2022 में हुआ था। वादी द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त दहेज के रूप में बुलेट मोटर साइकिल की मांग की गयी और उक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जिरह में पी०डब्लू०1 लगायत पी०डब्लू०5 ने अभियुक्तगण के द्वारा दहेज में बुलेट मोटर साइकिल माँगने और दहेज न देने के आधार पर क्रूरतापूर्वक व्यवहार व प्रताड़ना की बात से इनकार किया है और अभियुक्तगण द्वारा मृतका की हत्या से भी इनकार किया है और यह कहा है कि–इन मुल्जिमानो ने कभी भी सुषमा को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताडित नही किया था। उसकी लडकी सुषमा शादी के पहले से ही दिमागी रूप से थोडा हल्की थी। कभी कभी झक में आकर सुषमा उल–जुलूल हरकते करने लगती थी। सुषमा की तबियत खराब होने की सूचना पर वादी मुकदमा व उसके परिवार के लोग जीवनदीप अस्पताल गये थे, तो वहां पूँछने पर सुषमा ने बताया था कि उसने जोश में तथा गुस्से में आकर कीटनाशक दवा खा लिया था। अरविंद और उसके माता पिता को जैसे ही जानकारी हुई वो लोग उसे जीवनदीप अस्पताल में लाकर अच्छे से इलाज करा रहे है। सुषमा ने यह कहा कि उसकी इस परेशानी उसके द्वारा जोश में किये गये कार्य की वजह हुई, इसमें उसके ससुराल वालों का कोई दोष नहीं है। सुषमा की मृत्यु सुषमा की ही गलती एवं जोश तथा क्रोध में लिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप हो गयी। अभियुक्तगण अरविन्द कुमार गौतम, हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम कभी भी मृतका सुषमा से अतिरिक्त दहेज के रूप में बुलेट मोटर साइकिल की मांग नहीं किये थे और न ही उसे किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते थे।

33. विधि व्यवस्था **Shindo @ Sawinder Vs. State of Punjab (2011) 11 SCC 517** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि–

"9. We also notice that the High Court was dealing with an appeal against acquittal. Undoubtedly, in a case of dowry death under Section 304-B, a presumption of Section 113B, Evidence Act, does arise against the accused. However, the presumption is relatable to the fact that **the prosecution must first spell out the ingredients of the offence and then only can a presumption arise.** In the present case we find that the death was an unnatural one and had taken place within seven years of the marriage but the third ingredient that any demand for dowry had been made soon before the death has not been proved. In this view of the matter the presumption under Section 113B of the Evidence Act cannot be raised."

उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा प्रदर्श क–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायतनामा तैयार करते समय मजिस्ट्रेट के समक्ष जो पांच पंचान क्रमशः रमेश कुमार गौतम, गुड्डी, छंगा गौतम, लाल बहादुर व राजू गौतम को नियुक्त किये गये थे। तथ्य के साक्षीगण के रूप में रमेश कुमार गौतम व गुड्डी को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है, उन्होंने अपने पंचान राय में मृतका की मृत्यु जहर खा लेने के कारण होना बताया है तथा मृत्यु का सही कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम कराना नितान्त आवश्यक होना कहा है। पी०डब्लू०1 ने अपनी जिरह में स्पष्ट कहा है कि मृतका ने कभी भी उससे या उसके परिवार के किसी सदस्यगण से उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज में बुलेट मोटर साइकिल मांगने या उक्त दहेज की मांग पूरा न होने पर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया। तथ्य के अभियोजन साक्षीगण क्रमशः पी०डब्लू०2 लगायत पी०डब्लू०5 के द्वारा दहेज में एक बुलेट मोटर साइकिल माँगने व उक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के तथ्यों का समर्थन न किये जाने के कारण इन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, इसलिये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113बी के अन्तर्गत दहेज हत्या की अवधारणा

नहीं की जायेगी। मामले में यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार्य तथ्य है कि अभियोजन ने मृतका की मृत्यु के पूर्व अभियुक्तगण के द्वारा मृतका को प्रताड़ित किये जाने की किसी प्रकार की कोई भी शिकायत किसी सक्षम अधिकारी को नहीं की है। मृतका के द्वारा अपने जीवन काल में भी अभियुक्तगण के द्वारा प्रताड़ित करने की किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं की गयी है। अतः अभियुक्तगण अरविन्द कुमार गौतम, हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम के विरूद्ध धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। साक्षियों के साक्ष्य से यह तथ्य प्रकाश में नहीं आया कि अभियुक्तगण द्वारा विवाह के पूर्व अथवा विवाह के पश्चात् मृतका अथवा उसके परिवार के लोगों से दहेज की माँग की गयी और जो विवाह के अवसर पर दिया गया सामान था, वह स्त्रीधन अथवा उपहार था। उसके अलावा अन्य कोई दहेज की माँग नहीं की गयी, जिससे धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध भी नहीं बनता है। अतः अभियुक्तगण अरविन्द कुमार गौतम, हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

34. प्रस्तुत प्रकरण में मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तगण के साथ रहते हुए जहर खा लेने के कारण दौरान इलाज अस्पताल में हुई है। इस कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–106 के अनुसार यह साबित करने का भार अभियुक्तगण पर है कि मृतका की किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इस संबंध में अभियुक्तगण ने धारा–313 दं०प्र०सं० में कथन किये है कि वे निर्दोष है। वादी मुकदमा ने गलत ढंग से मुकदमा दर्ज कराया है। पी0डब्लू01 की मुख्य परीक्षा का कथन झूठा एवं गलत है जिरह में सही बयान दिया है। वादी के दबाव में आकर गलत ढंग से रिपोर्ट तैयार की गयी है और मामले में गलत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। मृतका की मृत्यु के पश्चात् उसके मायके वालो ने रंजिशन व संदेह के आधार पर मुकदमा लिखा दिया। इसके अतिरिक्त तथ्य के साक्षियों ने यह भी कथन किया है कि मृतका अपने ससुराल में खुश थी, उसने कभी भी दहेज में बुलेट मोटर साइकिल मांगने एवं दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात नहीं बतायी थी। पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–11 में मृतका को कोई चोट आने का अंकन नहीं किया गया है और उसकी मृत्यु का कारण–**Uncertain** अंकित है, जिसके सम्बन्ध में मृतका का बिसरा प्रिजर्व रखने और उसके विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने का अंकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की

रिपोर्ट में बिसरा के भागों में अल्युमिनियम फास्फाइड विष पाया गया है। तथ्य के साक्षीगण ने जिरह में यह कथन किया है कि जब उन लोगो ने सुषमा से पूँछा कि उसकी तबियत कैसे खराब हुयी तो सुषमा ने कहा कि उसके दिमाग में कुछ ऐसी सनक चढ गयी, जिसकी वजह से उसने कीटनाशक दवा को खा लिया था। जिसकी वजह से उसकी तबियत खराब होने पर उसके ससुराल वाले तुरंत उसे जीवनदीप अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज कराना शुरू कर दिया। सुषमा ने यह भी बताया था कि अरविंद, हीरावती और गेंदालाल ने उसे न तो मारा पीटा और न ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित किया था। उसने कहा कि उसकी इस परेशानी उसके द्वारा जोश में किये गये कार्य की वजह से हो गयी है इसमें उसके ससुराल का कोई दोष नही है। इस प्रकार घटना का मोटिव अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण अभियुक्तगण का असन्तुष्ट होना साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–106 के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध हत्या किये जाने की अवधारण नहीं की जायेगी। अतः अभियुक्तगण हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम के विरूद्ध **धारा–103 सपठित धारा–3(5) बी0एन0एस0** की भी उपधारणा नहीं की जा सकती है।

35. अतः उपरोक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–85, 80(2) वैकल्पिक धारा–103 सपठित धारा–3(5) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट तथा अभियुक्त अरविन्द कुमार गौतम के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम को धारा–85, 80(2) वैकल्पिक धारा–103 सपठित धारा–3(5) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट तथा अभियुक्त अरविन्द कुमार गौतम को धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम को सत्र परीक्षण सं०–74/2025, मु०अ०सं०–293/2025, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–85, 80(2) वैकल्पिक धारा–103 सपठित धारा–3(5) बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–रामपुर, जिला–जौनपुर तथा अभियुक्त अरविन्द कुमार गौतम को सत्र परीक्षण सं0–151/2025, मु०अ०सं०–293/2025, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–85, 80(2)

बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–रामपुर, जिला–जौनपुर के आरोपों से दोषमुक्त किये जाते हैं। हीरावती उर्फ दुर्गावती व गेनालाल गौतम जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त अरविन्द कुमार गौतम जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध है। यदि वह किसी अन्य मुकदमें में वांछित न हो, तो जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि उसे तत्काल रिहा किया जाय। रिहाई परवाना जेल भेजा जाय।

हीरावती उर्फ दुर्गावती, गेनालाल गौतम व अरविन्द कुमार गौतम द्वारा धारा–437ए दं०प्र०सं० का अनुपालन 15 दिन के अन्दर करना सुनिश्चित करें। हीरावती उर्फ दुर्गावती, गेनालाल गौतम व अरविन्द कुमार गौतम को आदेशित किया जाता है कि यदि इस निर्णय की अपील होती है और अपीलीय न्यायालय से नोटिस जारी होती है, तो वे अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। उनके द्वारा दाखिल मु०–25000– 25000/–रूपये का बन्धपत्र निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेगा।

निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या–151/2025 स्टेट बनाम अरविन्द कुमार गौतम पर रखी जाय।

<u>दिनांक 02.07.2026</u>

(सुशील कुमार शशि)
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2001
सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर ।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

<u>दिनांक 02.07.2026</u>
नितिन कुमार/–

(सुशील कुमार शशि)
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2001
सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर ।